जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम–मदाऊ, पोस्ट–भांकरोटा, जयपुर–302026

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि हेतु नियम

दिनांक 26 जून, 2006 की अनुसंधान बोर्ड तथा दिनांक 14.08.2006 की विद्यापरिषद् की 7वीं बैठक के निर्णयानुसार संशोधित **नियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गये नवीन शोध नियमों का समायोजन एवं पूर्व नियमों के संशोधन के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 13.7.11 की संस्तुति अनुसन्धान बोर्ड की बैठक दिनांक 9.8.11 विद्यापरिषद् की 12 वीं बैठक के निर्णय संख्या 12-2 के द्वारा गठित स्टेन्डिंग कमेटी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

नियम 01 –शोधोपाधि नाम :–

इस विश्वविद्यालय की विद्यावारिधि उपाधि को पीएच.डी. **शोधोपाधि** के **रूप में** जाना जायेगा **तथा उपाधि पत्र में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उल्लिखित किया जायेगा।**

नियम 02 –पंजीकरण योग्यता :–

(क) (i)**विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को यू.जी.सी. द्वारा मान्य-** आचार्य (स्नातकोत्तर) अथवा एम.ए. (संस्कृत), **संयुक्ताचार्य पञ्चवर्षीय पाठ्यक्रम, दो वर्षीय आचार्य(आचार्य सेमेस्टर प्रणाली), एम.फिल् उपाधि में** 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अथवा

आचार्य (स्नातकोत्तर) अथवा एम.ए. संस्कृत **सहित शिक्षाचार्य/एम.एड.(शिक्षा स्नातक स्तर पर संस्कृत शिक्षण विषय सहित)** उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ii) विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि हेतु शोध करने वाले अभ्यर्थी अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक ही विश्वविद्यालय में नियमित शोधार्थी के रूप में प्रवेश ले सकेंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला अभ्यर्थियों को इस आयु में तीन वर्ष की/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित छूट मिल सकेगी।

(iii) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित **प्रतिशत में** छूट होगी।

(ख) अभ्यर्थी उत्तम आचरण, समयबद्ध प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा निर्धारित उपस्थिति के आधार पर ही नियमित शोधार्थी रह सकेंगे।

(ग) **सेवारत/सेवानिवृत्त अध्यापक/कर्मचारी ये सभी अंशकालिक शोधार्थी होगें और उनके** लिए **अधिकतम** आयु सीमा **का** कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(घ) आचार्य/**आचार्य सेमेस्टर/संयुक्ताचार्य पञ्चवर्षीय**/एम.ए.(संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी सम्बद्ध संकाय/सम्बद्ध विषय (अन्तःशास्त्रीय) में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि के लिए पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।

नियम 03 – प्रवेश परीक्षा :–

1. विद्यावारिधि उपाधि के लिए प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना प्रसारित कर निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक सत्र में एक बार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेगें।
2. अनुसंधान पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित की जायेगी।
3. प्रत्येक शोधार्थी को शोधोपाधि के लिए पंजीकरण से पूर्व इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन घण्टे की अनुसंधान पात्रता परीक्षा होगी जिसमें डेढ़-डेढ़ घण्टे के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का तथा द्वितीय प्रश्न पत्र विषय से सम्बन्धित होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंक होगा। परीक्षा का माध्यम संस्कृत होगा । प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत एवं सम्पूर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।
4. नेट, स्लेट व जे.आर.एफ फेलोशिपधारी विद्यार्थियों को भी अनुसन्धान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही शोधार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा।
5. अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा **सम्बद्ध** विषय में एम.फिल. **उपाधि प्राप्त** अथवा पी–एच.डी. किये हुए अभ्यर्थी इस अनुसंधान पात्रता परीक्षा से **मुक्त होने** के पात्र होंगे।
6. अनुसन्धान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण छात्र परिणाम घोषित होने के तीन साल के लिए अर्ह माना जायेगा। इसका अंकन पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित किया जायेगा। इस अवधि के पश्चात् छात्र को पुनः अनुसन्धान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
7. विदेशी विद्यार्थी जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान फेलोशिप/सरकारी अनुदान से विद्यावारिधि उपाधि के लिए अध्ययन करना चाहते है, अनुसन्धान पात्रता परीक्षा से मुक्त होने के पात्र होगें किन्तु स्ववित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंसिंग) विदेशी विद्यार्थी को अनुसन्धान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विदेशी विद्यार्थी को अध्ययन की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब वे शोध वीसा पर भारत आये हों।
8. इस विश्वविद्यालय की अनुसन्धान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.फिल. कक्षा में भी प्रवेश हेतु पात्र माना जायेगा।
9. अभ्यर्थी अनुसंधान पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र निर्धारित **प्रपत्र** में ही शुल्क सहित जमा करा सकेंगे। उक्त आवेदन पत्र प्राचार्य, आचार्य **संस्कृत** महाविद्यालय/**निदेशक, शैक्षणिक परिसर,**, ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर/**सम्बद्ध** विभागाध्यक्ष**,** ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर के माध्यम से ही **निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र** ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर को प्रस्तुत करेंगे।

नियम 04 –अनुसन्धान पात्रता परीक्षा-

1. अनुसन्धान पात्रता परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं योजनानुसार आयोजित की जायेगी।
2. अनुसंधान पात्रता परीक्षा निदेशक, अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित की जाएगी । कुलपति के अनुमोदन से निदेशक अनुसंधान द्वारा आवश्यकतानुसार गठित समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन व मूल्यांकन किया जाएगा । रिक्त स्थानों के आधार पर ही योग्यता सूचि बनाई जा कर प्रवेश सूची जारी की जाएगी ।

3. निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र द्वारा परीक्षा का आयोजन कर मूल्यांकन के पश्चात् योग्यता सूची बनाई जायेगी और उसी के अनुसार विभिन्न संकायो के विभागों में रिक्त स्थानों पर शोधार्थियों की प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
4. विद्यावारिधि में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष 15 जून को विषयवार रिक्त स्थानों की सूचना की अधिसूचना पात्रता परीक्षा की अधिसूचना के साथ प्रसारित की जायेगी।
5. अधिसूचित तिथि को विभागीय विषय निर्वाचन समिति अभ्यर्थियों की पात्रता व प्रमाणपत्रों की जांच कर साक्षात्कार लेगी।
6. शोधनिर्देशकों की नियुक्ति उनकी विशेषज्ञता व विद्यार्थी की रुचि के क्षेत्र के आधार पर निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र द्वारा की जाएगी ।

नियम 05 –**अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम –**

1. विद्यावारिधि/एम.फिल में प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक सेमेस्टर अवधि का निर्धारित अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कर उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। इस पाठ्यक्रम में प्रति सप्ताह 16 घण्टे के चार पत्र सम्मिलित होंगे। इस अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित उत्तीर्ण एम.फिल अभ्यर्थियों को विद्यावारिधि में प्रविष्ट होने पर इस अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से छूट प्राप्त होगी।
2. अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विद्यावारिधि/एम.फिल. शोध की तैयारी का पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम माना जायेगा।
3. विद्यावारिधि में पंजीयन के लिए इस पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. इस पाठ्यक्रम में एक पत्र अनुसन्धान प्रविधि का होगा। जिसमें संख्यात्मक विधियाँ, शोध दृष्टि एवं संगणक (कम्प्यूटर) का उपयोग सम्मिलित होंगे।
5. द्वितीय पत्र में शोधनिर्देशक के निर्देशन में सम्बद्ध क्षेत्र में प्रकाशित शोधकार्यों का पाठालोचन (रिव्यू) सम्मिलित होगा।
6. तृतीय व चतुर्थ पत्र शोधकार्य के क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किये जा सकेंगे। इसमें विकल्प चुनने का अवसर दिया जायेगा ताकि शोधच्छात्र शोधनिर्देशक के परामर्श के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम चुन सके।

नियम 06 –**मूल्यांकन एवं आकलन विधि –**

1. अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (जो एम.फिल. /विद्यावारिधि कार्यक्रम का अभिन्न अंग होगा) उत्तीर्ण करने के अनन्तर एम.फिल. /विद्यावारिधि शोधार्थी अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ करेंगे और निर्धारित समय में अपना शोधप्रबन्ध विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

2. शोधप्रबन्ध प्रस्तुति से पूर्व शोधार्थी को पूर्व एम.फिल. /विद्यावारिधि सारांश पत्र विभाग के संकाय सदस्यों व शोध विद्यार्थियों की संगोष्ठी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिससे उनके प्राप्त सुझावों को शोधनिर्देशक के परामर्श से प्रारूप शोधप्रबन्ध में सम्मिलित किये जा सकें।

3. शोधप्रबन्ध को परीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक शोधार्थी को किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में अपने शोधप्रबन्ध से सम्बन्धित एक शोधपत्र प्रकाशित कराना होगा और प्रमाण स्वरूप स्वीकृति पत्र अथवा रिप्रिण्ट प्रस्तुत करना होगा।

नियम 07 –पंजीकरण :–

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि के लिए समस्त अभ्यर्थियों का पंजीकरण विषय निर्वाचिनी समिति के समक्ष अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।

नियम 08 –शोध निर्देशक अर्हता :–

1. अधोलिखित शिक्षक शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे –

(क) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के आचार्य(प्रोफेसर) और सह आचार्य (ऐसोसियेट प्रोफेसर)

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग और सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समस्त स्थाई शिक्षक जिनके पास विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि के साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढाने अथवा शोध कार्य का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। शोध कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन अनुसंधान बोर्ड द्वारा गठित सम्बन्धित विषय के तीन विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जायेगा।

(ग) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का कोई शिक्षक जिसके पास **शोधोपाधि नहीं है**, कम से कम 9 वर्षों का स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढाने का अनुभव हो।

(घ) अन्य दूसरे मामलों में **आवेदन करने पर** शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने की अनुमति अनुसंधान बोर्ड द्वारा दी जायेगी।

(ङ) ऐसे किसी भी विद्वान् को अनुसंधान बोर्ड द्वारा शोध निर्देशक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी, जिसे कुलपति ने अनुसंधान बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया हो।

2. समस्त संकायो के एकाधिक विभागों में संयुक्त निर्देशन की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी –

(क) दोनों शोध निर्देशकों द्वारा संयुक्त निर्देशक होने के **कारणों को** समुचित रूप से परिभाषित किये गये हों।

(ख) हर मामले में विभाग के दोनों व्यक्तियों में वरिष्ठ शिक्षक ही मुख्य शोध निर्देशक **होगा**।

(ग) एक अभ्यर्थी दोनों शोध निर्देशकों के अधिकार क्षेत्र में एक पूर्ण अभ्यर्थी के रूप मे गिना जायेगा।

(घ) सह–निर्देशक परीक्षक के रूप मे कार्य नहीं करेगा।

(ङ) **सम्बन्धित** विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर अनुसंधान बोर्ड विशेष मामलों **में** किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न रखने वाले मान्यता प्राप्त शोध निर्देशक के निर्देशन में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(च) विशेष मामलों में अनुसंधान बोर्ड किसी अभ्यर्थी को दो भिन्न विषयों/संकायों के शिक्षकों के संयुक्त निर्देशन के अधीन कार्य करने की अनुमति दे सकता है जिनमें से एक विश्वविद्यालय का होगा तथा दूसरा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर का भी व्यक्ति हो सकेगा।

3. विद्यावारिधि उपाधि के लिए शोध निर्देशक के सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय रहा हो तो उस निर्देशक द्वारा विद्यावारिधि के लिए छात्र का पंजीयन नहीं कराया जा सकता। परन्तु ऐसे शोध निर्देशक विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त होते हैं तो कुलपति पद पर सेवा अवधि में वे शोध निर्देशक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

4. किसी भी व्यक्ति को अपने निकट सम्बन्धियों को शोध निर्देशन करने की अनुमति नहीं होगी। इस सन्दर्भ में निकट सम्बन्धी की श्रेणी में **पत्नी**, **पति**, **पुत्र**, **पुत्री**, **पौत्र**, **पौत्री**, **भाई**, **बहिन**, **भतीजा**, **भतीजी**, **दामाद**, **पुत्रवधू**, **साला**, **साली** शामिल हैं।

5. जब किसी संकाय में किसी विशेष विषय के लिए विशेषज्ञ शोध निर्देशक इस विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं होता है तो अनुसंधान बोर्ड द्वारा किसी **भी** प्रसिद्ध विद्वान् (जो उस विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता **हो**)/ को शोध निर्देशक/सह निर्देशक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

6. एक बार शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्राप्त शिक्षक स्नातक महाविद्यालय में स्थानान्तरित होने पर भी शोध निर्देशक के रूप मे कार्य करता रहेगा लेकिन स्नातक महाविद्यालय में उसकी सेवावधि के दौरान नये अभ्यर्थियों को उसके अधीन पंजीयन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. किसी शोध निर्देशक द्वारा सेवा परित्याग करने अथवा अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थिति में शोध निर्देशन किया जाना सम्भव न होने पर शोध निर्देशक परिवर्तित किया जा सकेगा।

नियम 09 – पंजीकरण प्रक्रिया :–

प्रत्येक अभ्यर्थी को विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि के लिए प्रवेश हेतु पंजीयन कराने के लिए प्रार्थना पत्र एक निर्धारित प्रपत्र में (जिसे **अनुसन्धान** कार्यालय से निर्धारित शुल्क रूपये जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है) अपने शोध निर्देशक के माध्यम से विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष या शोध सुविधा रखने वाले आचार्य (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी जो शोध विषय लेना चाहता है उसका विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कर विस्तृत रूपरेखा (सिनोप्सिस) के साथ देना होगा।

शोध निर्देशक प्रार्थना पत्र अग्रेषित करने से पूर्व अभ्यर्थी की शोध अध्ययन विषयक (रिसर्च **टा**पिक) की लिखित अथवा मौखिक परीक्षा लेगा और उसकी जांच करेगा।

पंजीयन **के लिए** प्राप्त आवेदन पर विभागाध्यक्ष/प्राचार्य निम्नांकित **को सुनिश्चित कर** कार्यवाही करेगा :–

1. क्या अभ्यर्थी पंजीयन के लिए पात्र है?

2. क्या अभ्यर्थी शोध निर्देशक के अधिकर क्षेत्र (अभ्यांश) के अन्तर्गत आता है ?

3. क्या शोध विषयक रूपरेखा निर्धारित प्रारूप में संस्कृत भाषा में प्रस्तुत की ग**ई है** ?

4. क्या शोधार्थी ने शोध विषय के मौलिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ?

5. सन्तुष्ट होने के बाद विभागाध्यक्ष/प्राचार्य शोध विषयक रूपरेखा के साथ पंजीकरण प्रार्थना पत्र को शोध–समिति के समक्ष रखने हेतु विश्वविद्यालय को अग्रेषित करेंगे।

6. सभी तरह से पूर्ण अभ्यर्थना–पात्रता वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे।

7. अग्रिम नियम 10 के अन्तर्गत शोध **विषय निर्वाचिनी** समिति द्वारा विषय का अनुमोदन होने पर **निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र,** जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर उस अभ्यर्थी का पंजीयन कर अनुज्ञा पत्र जारी करेगा। शोध कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अभ्यर्थी **द्वारा अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरान्त पंजीयन शुल्क जमा कराने की तिथि से मानी जायेगी।**

नियम 10 – शोधविषय स्वीकृति :–

शोध विषय निर्वाचिनी समिति का गठन अधोलिखित रूप से होगा :–

1. कुलपति	अध्यक्ष
2. **निदेशक, शैक्षणिक परिसर**	सदस्य
3. इस विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठतम आचार्य (प्रोफेसर)	सदस्य
4. **सम्बद्ध विभागाध्यक्ष**	सदस्य
5. कुलपति द्वारा नामित प्रत्येक विषयगत विशेषज्ञ	सदस्य
6. **सम्बद्ध शोधनिर्देशक**	सदस्य
7. निदेशक अनुसंधान केन्द्र	सचिव

इस समिति के उपवेशन की अध्यक्षता कुलपति करेंगे। यदि कुलपति अनुपस्थित हो तो **निदेशक, शैक्षणिक परिसर** अध्यक्षता करेगा।

इस समिति को गहरी छानबीन कर शोध विषय को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

इस सन्दर्भ में यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि चयन किया गया विषय सार्थक रूप से शोध का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के पश्चात् समिति अभ्यर्थी को शोध हेतु अभिशंसात्मक निर्णय करेगी।

शोध विषय निर्वाचिनी समिति के अभिशंसात्मक निर्णय के पश्चात् निदेशक, अनुसंधान केन्द्र द्वारा अभ्यर्थी को शोध हेतु पंजीकरण का अनुज्ञा–पत्र जारी किया जायेगा।

नियम 11 –प्रवेश प्रक्रिया

(क) **प्रवेश शुल्क –**

शोधार्थी को विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि हेतु प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कराना होगा।

(ख) **शिक्षण शुल्क :–**

प्रत्येक अभ्यर्थी जो शोध हेतु विश्वविद्यालयीय शिक्षण विभाग/महाविद्यालय में प्रवेश लेता है उसे प्रत्येक तीन माह में निर्धारित शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) जमा कराना होगा। यह शुल्क तब तक जमा कराना होगा जब तक वह विश्वविद्यालय को अपना शोध प्रबन्ध जमा नहीं करवा देता है।

टिप्पणी :–

1. शोधार्थियों को अपने शोध प्रबन्ध के साथ अदेय (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र जो कि शोध निर्देशक, प्राचार्य–स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, अधीक्षक–छात्रावास द्वारा वैधानिक रूपेण प्रदत्त हो, जमा कराना होगा। सामान्यतः जो सम्बद्ध महाविद्यालय के शोध निर्देशक के अधीन शोध कार्य कर रहे हैं वे शोधार्थी उस महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त अदेय (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र अपने शोध प्रबन्ध के साथ प्रस्तुत करेंगे।

नियम 12 –नामांकन :–

प्रत्येक अभ्यर्थी को उपाधि के लिए पंजीकृत होने से पहले निर्धारित शुल्क जमा कराने पर विश्वविद्यालय का शोध अभ्यर्थी के रूप में नामांकन (एनरोलमेन्ट) किया जायेगा। नामांकन प्रार्थना पत्र व शुल्क सहित नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र (जो कुलसचिव कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।) के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी को इसके साथ स्नातकोत्तर उपाधि **की प्रमाणित छायाप्रति** व विश्वविद्यालय का मूल प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र (जिससे उसने अन्तिम उपाधि प्राप्त की है।) संलग्न करना होगा।

टिप्पणी :–

वे अभ्यर्थी जो एक बार विश्वविद्यालय में नामांकित (एनरोल्ड) हो चुके हैं उन्हें पुनः नामांकन हेतु आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि वे इस विश्वविद्यालय से प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें वह अथवा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण विश्वविद्यालयीय प्रव्रजन प्रमाण पत्र इस विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा।

नियम 13 –शोधसमयावधि :–

(क) सामान्य शोधार्थी**(जो** एम.फिल. (संस्कृत) अथवा तत्समकक्ष **नहीं है)** अपनी शोध परियोजना पंजीकरण तिथि से **तीन** वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सकेगा।

(ख) एम.फिल. (संस्कृत) अथवा तत्समकक्ष संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण शोधार्थी अपनी शोध परियोजना पंजीकरण तिथि से दो वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सकेगा।

(ग) निर्धारित अवधि में शोध परियोजना पूर्ण न हो**ने** की स्थिति में निर्धारित शुल्क सहित प्रार्थना पत्र के आधार पर कुलपति महोदय की अनुमति से इस अवधि में एक**-एक** वर्ष **और अधिकतम दो वर्ष** की वृद्धि की जा सकेगी। **महिला शोधार्थियों को मातृत्व कारणों से एक वर्ष की वृद्धि और की जा सकेगी।** इस अवधि के पश्चात् शोधार्थी को पुनः पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा जिसके आधार पर शोध विषय निर्वाचिनी समिति के परामर्शानुसार शोध कार्**या**वधि में वृद्धि की जा सकेगी जो कि अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।

(घ) सामान्य शोधार्थी को किसी भी सन्दर्भ में **पञ्जीयन की तिथि से** 24 माह से पूर्व तथा एम.फिल. (संस्कृत) अथवा तत्समकक्ष संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण शोधार्थी को **पंजीयन तिथि से** 18 माह से पूर्व अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

नियम 14 –शोध निर्देशक के अधीन संख्या :–

अधिकतम शोधार्थियों की संख्या जो एक शोध निर्देशक शोध कार्य हेतु अपने निर्देशन के अधीन ले सकता है, वह निम्न प्रकार होगी :–

1 आचार्य (प्रोफेसर) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध /प्राचार्य,आचार्य महाविद्यालय से सम्बद्ध **8**

2. सह आचार्य (एसोसियेट प्रोफेसर) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/आचार्य (प्रोफेसर) महाविद्यालय से सम्बद्ध **8**

4. सहायक आचार्य (असिसटेन्ट प्रोफेसर) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहायक आचार्य (असिसटेन्ट प्रोफेसर**, प्राध्यापक**, **व्याख्याता**) **महाविद्यालय से सम्बद्ध** **8**

टिप्पणी :–

1. विश्वविद्यालय **द्वारा प्रथम बार नियुक्त शोधनिर्देशक को प्रथम तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष तीन-तीन शोधार्थियों को पंजीयन करने की अनुमति होगी। इस अवधि के उपरान्त निर्धारित शोधार्थियों को पंजीयन की अनुमति होगी।**
2. शोध निर्देशक को प्रत्येक तीन माह में अपने शोधार्थी की प्रगति रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर**नी** होगी।

नियम 15 – शोधार्थी उपस्थिति :–

(क) **नियमित शोधा**र्थी को शोध कार्य हेतु अपने निर्देशक से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 150 दिन शोध कार्य हेतु सम्पर्क में रहना होगा। इस अवधि का कुछ भाग शोध संस्थानों/शोध से सम्बद्ध स्थानों का अवलोकन/शोध सामग्री के संग्रहण आदि के उद्देश्य से शोध निर्देशक द्वारा निर्देशित स्थान पर यहां तक कि विश्वविद्यालयीय कार्य

क्षेत्र से बाहर भी बिताया जा सकता है। **अनियमित शोधार्थी को शोधकार्य हेतु प्रतिवर्ष 45-45 दिन शोधनिर्देशक के सम्पर्क में रहना होगा।**

(ख) एक **शोधा**र्थी द्वारा अपने शोध प्रबन्ध में उसके द्वारा उसके प्रकाशित लेखों में से कुछ लेख जिनका प्रयोग इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया गया हो, शामिल किया जा सकता है और यह बात उसे अपने शोध प्रबन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करनी चाहिये।

(ग) सामान्यतः कोई भी **शोधा**र्थी जो विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि के लिए नामांकित हो चुका है उसे विश्वविद्यालय की कोई अन्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। फिर भी शोध कार्य के हित में अथवा कुछ विशेष मामलों में कुलपति , सम्बन्धित विभागाध्यक्ष या शोध निर्देशक की सिफारिश पर ऐसी अनु**मति** प्रदान कर सकते हैं।

नियम 16 –प्रगति विवरण :–

(क) प्रत्येक शोधार्थी अपने शोध कार्य– प्रगति की सूचना (रिपोर्ट) शोध निर्देशक के माध्यम से निदेशक**, अनुसन्धान केन्द्र** को प्रत्येक तीन माह में भिजवायेगा जिसका शोध निर्देशक द्वारा एक अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाएगा। शोध निर्देशक द्वारा अभ्यर्थी को समय–समय पर **सूचना**(नोटिस) दी जाएगी कि वह निर्धारित अवधि में अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने हेतु तत्पर रहें।

(ख) एक अभ्यर्थी को अध्ययन अवधि के दौरान सामान्यतः अपने विषय की योजना (स्कीम) को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन यदि तकनीकी कारणों से कोई ऐसा अवसर उपस्थित होता है तो शोध निर्देशक की अनुशंसा पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने से पूर्व कुलपति शोधार्थी को निर्देशक के माध्यम से विषय विशेषज्ञ और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के साथ विचार विमर्श के बाद **पंजीयन से एक वर्ष की अवधि में** विषय परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

नियम 17 –शोध प्रबन्ध प्रस्तुति :–

शोध निर्देशक विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष या महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को यह सूचित करेगा कि शोध प्रबन्ध प्रस्तुति के लिए तैयार है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि शोध प्रबन्ध अपने सभी पक्षों में प्रस्तुत करने योग्य है। शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने से पूर्व शोधार्थी को निर्देशक के माध्यम से शोध प्रबन्ध की संक्षिप्त रूपरेखा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। शोध प्रबन्ध की संक्षिप्त रूपरेख प्रस्तुत करने के छः मास की अवधि के भीतर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना होगा। कुछ विशेष मामलों में कुलपति यह सीमा बढा सकते हैं।

नियम 18 :–

शोधप्रबन्ध प्रस्तुति के समय शोधार्थी अपने शोधप्रबन्ध की एक सी.डी.(यूनिक कोड फोण्ट में) अनुसन्धान कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

नियम 19 :–

शोध प्रबन्ध पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी अपने शोध प्रबन्ध की मुद्रित या टंकित की हुई पांच प्रतियां अधोलिखित रूप से आमुख (कवर) पृष्ठ निर्धारित रंग में प्रस्तुत करेगा :–

1.	वेद वंदांग संकाय	पीला
2.	साहित्य **एवं** संस्कृति संकाय	गुलाबी
3.	दर्शन संकाय	**गे**रूआं
4.	श्रमण विद्या संकाय	सफेद
5.	शिक्षा संकाय	हल्का हरा

(क) वेद वंदाग संकाय, साहित्य एवं संस्कृति संकाय, दर्शन संकाय, श्रमण विद्या संकाय **एवं शिक्षा संकाय** के शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध संस्कृत भाषा के माध्यम **से** ही प्रस्तुत कर सकेंगे।

(ख) श्रमण विद्या संकाय के अन्तर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश विषयों के शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध उसी भाषा में अथवा संस्कृत/जिनका अनुसन्धेय विषय संस्कृत के साथ विज्ञान सम्बद्ध हो वे **उस** भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे।

टिप्पणी :–

'**ख' बिन्दु** के सन्दर्भ में जो शोधार्थी संस्कृत से भिन्न भाषा में शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का संक्षिप्त रूप संस्कृत भाषा में 40 पृष्ठों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नियम 20 :–

शोध निर्देशक इस आशय का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करेगा कि अभ्यर्थी का कार्य मौलिक एवं प्रामाणिक है। **प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।**

नियम 21 :–

शोध प्रबन्ध परीक्षण :–

(क) शोध प्रबन्ध प्राप्त होने पर उसे शोध निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु भेजा जाएगा। नियुक्ति निम्न प्रकार से की जायेगी-

शोधार्थी का शोध निर्देशक शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन करने की योग्यता रखने वाले आठ विशेषज्ञों के पैनल का सुझाव देगा। पैनल कुलपति के समक्ष रखा जायेगा।

कुलपति उस पैनल में से किन्ही दो बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे, जिनमें से एक राज्य से बाहर के होंगे।

(ख) मूल्यांकन कर्ता शोध प्रबन्ध पर अपना प्रतिवेदन सामान्यतः दो महीने के अन्दर देगा।

(ग) यदि तीन मूल्यांकन कर्ताओं के द्वारा शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो शोध प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(घ) तीन निर्णायकों के मध्य मत-भिन्नता होने की दशा में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

1. यदि दो परीक्षकों ने शोध प्रबन्ध को स्वीकार कर लिया है लेकिन तीसरे परीक्षक ने पुनरवलोकन की मांग की है, तो बाह्य परीक्षकों के प्रतिवेदन के अंशों को अभ्यर्थी के शोध निर्देशक के पास उसकी राय के लिए भेजा जायेगा। शोध निर्देशक तदनुरूप संशोधन करवाकर शोध प्रबन्ध पुनः प्रस्तुत करवा सकेंगे। यह मूल्यांकन हेतु पुनः उसी परीक्षक को भेजा जाएगा अथवा शोध निर्देशक चाहे तो चतुर्थ परीक्षक की नियुक्ति की सिफारिश कर सकता है। चतुर्थ परीक्षक की राय अन्तिम होगी।

2. यदि दो परीक्षक शोध प्रबन्ध स्वीकार करते हैं, तीसरा अस्वीकृत करता है तो उसे चतुर्थ परीक्षक की राय के लिए भेजा जाएगा और उसकी राय अन्तिम होगी।

3. यदि एक परीक्षक शोध प्रबन्ध स्वीकार करता है तथा दूसरा अस्वीकार करता है व तीसरा उसके पुनरावलोकन की मांग करता है तो शोध प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नियम – 22 - मौखिक परीक्षा (वायवा वोसी एग्जामिनेशन)

(क)

1. सभी मामलों में एक मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में विभागाध्यक्ष/संकाय अध्यक्ष के सान्निध्य में (जो कि शोध निर्देशक एवं कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा ली जाएगी) होगी तथा यह परीक्षा विश्वविद्यालयीय विभाग के विषयाध्यापकों और सम्बन्धित विभाग तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के शोधनिर्देशकों एवं शोधार्थियों के लिए खुली होगी। इस मौखिक परीक्षा में ये सभी अपने खर्चे पर पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हो सकेंगे। निर्णय का अधिकार केवल बाह्यपरिक्षक को होगा।
2. यदि मौखिक परीक्षा के लिए शोध प्रबन्ध मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति मौखिक परीक्षक के रूप में उपलब्ध नहीं है तो कुलपति देश में से किसी अन्य लब्ध विषयगत शिक्षाविद् व्यक्ति को परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं।

(ख) निर्णायक मण्डल अपना प्रतिवेदन गोपनीय प्रतिवेदन समेतित करके निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र को भेजेगा।

(ग) यदि शोधार्थी मौखिक परीक्षकों की राय में सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता है, या उनकी राय में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, तो अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद पुनः मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकेगा। यह दूसरी परीक्षा पहली मौखिक परीक्षा की दिनांक से एक माह के उपरान्त व एक वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए। यदि दूसरी मौखिक परीक्षा में भी अभ्यर्थी सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता है तो उसका शोध प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी – मौखिक परीक्षा के आयोजन स्थल के परिवर्तन के सन्दर्भ में कुलपति की अनुमति से छूट दी जा सकेगी।

नियम – 23 - शोध प्रबन्ध की पुनः प्रस्तुति -

(क) यदि एक अभ्यर्थी को अपने शोध प्रबन्ध को संशोधित करने या पुनः प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है तो उसे इस अनुमति की दिनांक से छः महीने के बाद तथा बारह महीने से तक की अवधि में निर्धारित शुल्क के साथ अपना शोध प्रबन्ध जमा कराना होगा।

(ख) इस प्रकार के शोध प्रबन्ध को निर्णय के लिए उन्ही परीक्षकों के उसी पैनल (जिसमें वह चौथा परीक्षक भी शामिल होगा) को सौंपा जाएगा, जिसने मूल शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन किया था। यदि वह पैनल निर्णय देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो कुलपति शोध निर्देशक द्वारा सुझाए गये मूल पैनल में से किसी दूसरे बाह्य परीक्षक/परीक्षकों को नियुक्त कर सकेंगे। यदि कम से कम तीन परीक्षक शोध प्रबन्ध को स्वीकार करने की अनुशंसा करते हैं तो शोध प्रबन्ध स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को अपना शोध प्रबन्ध एक से अधिक बार पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

नियम -24 - उपाधि प्रदान –

यदि मौखिक परीक्षा को संचालित करने वाले तथा शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन करने वाले सभी परीक्षक अभ्यर्थी को उपाधि देने की अनुशंसा करते हैं तो वह अनुशंसा कुलपति की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत होगी तथा कुलपति की स्वीकृति के पश्चात् अभ्यर्थी को विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि अर्जित करने का अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। कुलपति स्वीकृति से सम्बद्ध ऐसे सभी प्रकरण कार्यपरिषद् को प्रतिवेदित करने होंगे।

नियम –25 विद्यावारिधि (पीएच.डी.) से सम्बन्धित शुल्क एवं पारिश्रमिक/मानदेय की तालिका निम्नानुसार है –

क्र.सं.	विवरण	शुल्क
1	अनुसन्धान पात्रता/एम.फिल्. प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	100.00
2	अनुसन्धान पात्रता/एम.फिल्. प्रवेश परीक्षा शुल्क	500.00
3	शोधपंजीयन आवेदन पत्र	100.00
4	शोध पंजीयन शुल्क	1100.00
5	अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं परीक्षा शुल्क	1500.00
6	नामांकन शुल्क	75.00
7	योग्यता/पात्रता शुल्क	75.00
8	नामांकन विलम्ब शुल्क	100.00
9	प्रवेश शुल्क	200.00
10	परिचय पत्र शुल्क (विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अनुसन्धान केन्द्र में तथा महाविद्यालय के विद्यार्थी महाविद्यालय में जमा करवायेगें)	100.00

11	विकास शुल्क	500.00
12	छात्रसंघ शुल्क	200.00
13	बीमा शुल्क	50.00
14	क्रीडा शुल्क	100.00
15	सैनिक कल्याण कोष सहायता शुल्क	10.00
16	पुस्तकालय शुल्क - (1- शिक्षक को अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का पुस्तकालय शुल्क 6 माह का देना होगा।) (2- विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अनुसन्धान केन्द्र में तथा महाविद्यालय के विद्यार्थी महाविद्यालय के पुस्तकालय में जमा करवाकर रसीद की प्रति अनुसन्धान कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे तथा शिक्षक शोधार्थी इस शुल्क से मुक्त रहेगें)	600.00 रुपये (100 रुपये प्रतिमाह) 2400.00 रुपये दो वर्ष के लिए तथा बाद में 100.00 रु. प्रतिमाह
17	शिक्षण शुल्क - (1 - शिक्षक को अनुसन्धान क्रियात्मक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क 6 माह का देना होगा।) (2- प्रत्येक शोधार्थी को शिक्षण शुल्क अनुसन्धान केन्द्र में जमा कराना होगा। शिक्षक इस शुल्क से मुक्त रहेगें।)	600.00 रुपये (100 रुपये प्रतिमाह) 2400.00 रुपये दो वर्ष के लिए तथा बाद में 100.00 रु. प्रतिमाह
18	शोध प्रबन्ध प्रस्तुति एवं शोध परीक्षण शुल्क	7500.00
19	प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क	100.00
20	पुनः पंजीकरण शुल्क	2000.00
21	पुनः मौखिकी परीक्षा शुल्क	500.00
22	शोधप्रबन्ध की पुनः प्रस्तुति शुल्क	500.00
23	शोध पात्रता प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र निर्माण की पारिश्रमिक दर	500.00
24	शोध पात्रता प्रवेश परीक्षा की उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन की पारिश्रमिक दर	15 रुपये प्रति उ.पू. (न्यूनतम राशि रुपये 150.00)
25	विद्यावारिधि शोधपुस्तिका मूल्यांकन मानदेय राशि	800.00
26	विद्यावारिधि वाक्परीक्षा मूल्यांकन मानदेय राशि	500.00

आवश्यकतानुसार समय-समय पर कार्यपरिषद् द्वारा संशोधित शुल्क एवं पारिश्रमिक/मानदेय की दरें लागू की जायेगी।